कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः–3079/ 1जी–FP/UK/ROAD/12845/2015 देहरादूनः दिनांकः 12 अप्रैल, 2016

सेवा में,
अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.45 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन FP/UK/ROAD/12845/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक–3077 दिनांक 12-4-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। **(प्रति संलग्न)** अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी–FP/UK/ROAD/12845/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

जनपद चमोली के अन्तर्गत कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.45 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन FP/UK/ROAD/12845/2015

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना हेतु बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर में 5.72 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.33 है0 राजस्व वन भूमि, 0.4 है0 पंचायत वन भूमि अर्थात कुल 6.45 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है0 से अधिक क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0 लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहरः
तिथि : 12/04/2016
स्थान : देहरादून

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–3077 /FP/UK/ROAD/12845/2015 :देहरादूनःदिनांकः 12 अप्रैल, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय–एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.450 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (**FP/UK/ROAD/12845/2015**)

संदर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या–**Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846** दिनांक 06–11–2015.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की हार्ड कॉपी उपलब्ध करायें जाने के निर्देश दिये गये है। भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या–3077 /**FP/UK/ROAD/12845/2015** दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी